भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1681

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-डिजिटल कृषि मिशन की प्रमुख विशेषताएं

1681. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल कृषि मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ग्रामीण और स्थानीय पृष्ठभूमि के किसानों को शामिल करने और प्रशिक्षित करने की योजना क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में, विशेषकर तमिलनाडु के गांवों में, किसानों को मिशन के डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में सहायता करने के लिए स्थानीय डिजिटल हेल्प डेस्क या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ङ) सरकार डेटा गोपनीयता अनुपालन की निगरानी और किसानों की संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा कैसे करती है; और

(च) क्या सीमित इंटरनेट संपर्क वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए ऑफ़लाइन या कम तकनीक वाले समाधान प्रदान करने की कोई योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई अन्य आईटी पहलें, ताकि देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को विकसित किया जा सके। इससे किसानों के लिए नवीन और विश्वसनीय डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें विश्वसनीय बनाएगा। फसल संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् जियो रिफेरेंस्ड विलेज मैप, बोई

गई फसल की रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। दिनांक 04.02.2026 तक 8.48 करोड़ से अधिक किसान आईडी सृजित की जा चुकी है। इसके अलावा, खरीफ 2025 में 604 जिलों में 28.5 करोड़ से अधिक प्लॉटों को कवर करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया है।

(ख): योजनाओं में स्थानीय युवाओं, कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं, कृषि सखियों को प्रशिक्षित करना शामिल है ताकि किसानों को ग्राम स्तर पर स्थानीय भाषाओं में कृषि से संबंधित डिजिटल उपकरणों और अन्य पोर्टलों का उपयोग करने में सहायता मिल सके।

(ग): वर्ष 2025-26 में, सरकार ने देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। देशवार आवंटन का विवरण अनुबंध में दिया गया है। तमिलनाडु को 49.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और दिनांक 06.02.2026 तक राज्य ने 7.31 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सरकार ने तमिलनाडु को किसानों के पहचान पत्र सृजित करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 58.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि वे इस निधि का उपयोग अपनी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए कर सकें और इसी उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में 87.68 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

(घ): सरकार मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों को किसानों की शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों को कैम्प मोड दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को जमीनी स्तर पर कैम्प लगाने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ड.): राज्य किसान रजिस्ट्री एक संघीय संरचना (फेडरेटेड आर्कीटेक्चर) पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार एग्री स्टैक विकसित किया है, ताकि किसानों के डाटा की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों का डाटा केवल उनकी सहमति से ही एकत्र किया जाए और किसानों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकृत संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो। भारत सरकार एग्री स्टैक में मजबूत डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करती है। एग्री स्टैक किसानों की जानकारी का रख-रखाव एन्क्रिप्टेड रूप में किया जाता है ताकि केवल निर्दिष्ट सिस्टम ही इसे पढ़ सके। सुरक्षित एपीआई और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा आदान-प्रदान को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार इन सभी आईटी प्रणालियों में संकलित डेटा की सुरक्षा के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट करती है।

(च): यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ी है, फिर भी उन किसानों को डिजिटल तंत्र से शामिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हैं। वे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) जैसी मौजूदा सहायता संरचनाओं का उपयोग करके एग्रीस्टैक पर पंजीकरण करा सकते हैं और सेवाओं एवं लाभों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें कैम्प आयोजित करते हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के लाभों से वंचित न रह जाए।

अनुबंध

क्रं. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई निधि (रु. करोड़ में)	केंद्रीय हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	46.78	28.068
2	अरुणाचल प्रदेश	0.88	0.792
3	असम	25.31	22.779
4	बिहार	138.6	83.16
5	छत्तीसगढ	40.56	24.336
6	गोवा	0.31	0.186
7	गुजरात	21.97	13.182
8	हरियाणा	11.4	6.84
9	हिमाचल प्रदेश	25.16	22.644
10	जम्मू और कश्मीर	18.29	18.29
11	झारखंड	18.31	10.986
12	कर्नाटक	42.84	25.704
13	केरल	33.25	19.95
14	मध्य प्रदेश	127.2	76.32
15	महाराष्ट्र	91.62	54.972
16	मणिपुर	0.61	0.549
17	मेघालय	1.07	0.963
18	मिजोरम	0.32	0.288
19	नागालैंड	1.43	1.287
20	ओडिशा	32.64	19.584
21	पंजाब	7.77	4.662
22	राजस्थान	94.68	56.808
23	सिक्किम	0.26	0.234
24	तमिलनाडु	49.89	29.934
25	तेलंगाना	30.42	18.252
26	त्रिपुरा	3.89	3.501
27	उत्तर प्रदेश	210.15	126.09
28	उत्तराखंड	11.64	10.476
29	पश्चिम बंगाल	112.04	67.224
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.09
31	चंडीगढ़	0.01	0.01
32	दादरा एवं नगर हवेली	0.11	0.11
33	दमन एवं दीव	0.1	0.1
34	दिल्ली	0.1	0.1
35	लक्षद्वीप	0.1	0.1
36	पुदुचेरी	0.2	0.2

*****